

98



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, खालियर

प्रकरण क्रमांक

१३ निगरानी - R-1649-JC/13

१- राव यादवचन्द्र सिंह नावालिग पुत्र न सरदाप  
रावचन्द्रन सिंह, पुत्र राव बुध्द सिंह,  
त्रिवासी ग्राम मोबई बुजुर्ग तेहसील सेवड़ा  
जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

२- अनुज प्रताप सिंह नावालिग पुत्र राज मुलायम  
सिंह व सरपरस्त मां श्रीमती होली गिंम  
परिहार निवासी ग्राममोबई बुजुर्ग तेहसील  
सेवड़ा जिला दतिया मध्यप्रदेश ।

----- प्रार्थीगण

बिरगध

राव कौक सिंह तनय राव बुध्द सिंह,  
निवासी ग्राम मोबई बुजुर्ग तेहसील सेवड़ा  
जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्राणी

निगरानी का बिरगध आदेश एस०डी०ओ० महोदय सेवड़ा जिला दतिया  
दिनांकी ४।४।१३ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व विहिता, प्र०३०  
१५।१२-१३ अपील ।

श्री मान जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।
- २- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी विषयों  
को सही नहीं समझा है ।
- ३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में  
नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बोला हुआ आदेश नहीं है ।
- ४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के नमूदा प्रस्तुत अपील सरासर अशुद्ध

क्रम सं: ---२

मामा के बंधु 17/4/13  
अपुत्र  
17/4

24-4-13

20/4/13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-1649-दो/2013

जिला-दतिया

राव यादवेन्द्र आदि विरुद्ध राव कोक सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाषकों हस्ताक्षर
31-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार भाण्डेर, जिला-दतिया के प्रकरण क्रमांक 15/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 04-04-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला-दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22-07-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 31/5/19</p>